

दिनांक को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract Package No.-27C/Hajipur कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-5625(E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, निविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2441 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2564(अनु०) दिनांक-21.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक-21.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : | Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract Package No.-27C/Hajipur |
| 2.2 | योजना मद | : | 3054 |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | : | वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹14066.07 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹16228.01 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1600(अनु०) दिनांक-23.05.2026 |
| 2.6 | ECV/परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹14154.78183 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (MBD) |

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026
2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 03 (तीन) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- (1) Agrawal Infrabuild Private Limited (2) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Private Limited
(3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.

4. उपभागीय ज्ञापांक-2441 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल तीन निविदाकारों में से एक निविदाकार यथा Agrawal Infrabuild Private Limited निविदा की वांछित अर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। शेष दो निविदाकार (i) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Private Limited को ITB Clause-17 एवं Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU के आलोक में एवं (ii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम- 163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है, यदि विभागीय आदेश-141 सह पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

5. उपभागीय ज्ञापांक-2441 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक- RRC/26-27/203 दिनांक- 14.08.2026 एवं (2) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक-शून्य दिनांक- 14.08.2026 एवं अन्य निविदा (OPRMC Phase-III 05A) में निविदाकार (3) JKM Infra Projects Ltd. का पत्रांक-JKM/PAT/INBR/Muz/CE/2026/819 दिनांक-17.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2564(अनु०) दिनांक-21.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक- 21.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार, Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक- RRC/26-27/203 दिनांक-14.08.2026, Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक-शून्य दिनांक-14.08.2026 एवं अन्य निविदा (OPRMC Phase-III 05A) में निविदाकार JKM Infra Projects Ltd. का पत्रांक-JKM/PAT/INBR/Muz/CE/2026/819 दिनांक-17.08.2026

द्वारा इस निविदा के निविदाकार Agrawal Infrabuild Private Limited के विरुद्ध परिवाद/आपत्ति समर्पित किया गया है।

परिवाद की समीक्षा :-

परिवाद	समीक्षा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1 Rai Raj Construction Pvt. Ltd. :- उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि उक्त पथ प्रमंडल हाजीपुर अंतर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Contract प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 27 C/ Hajipur में मेरे द्वारा निविदा में भाग लिया गया था परन्तु आपके द्वारा ITB Clause- 17 के आलोक में बीड security BG के रूप में Conditional BG Upload किया गया एवं पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन दो कार्यो यथा (1) बिहार बख्तायापुर पथ कारगिल चौक से पचासा मोड़ का चौड़ीकरण एवं (2) पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत NH-82 leftout अंश (इतवारी बाजार से उपरौरा मोड़) पथ का चौड़ीकरण कार्य न्यूनतम निविदाकार होने के फलस्वरूप आवंटन होने के बावजूद एकरारनामा नहीं किया गया। ये दोनों कारण लगाकर आपके द्वारा तकनीकी बिड में असफल किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। (1) पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत दो पथों में कार्य आवंटन हुआ था परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा forest clearance एवं Utility shifting का NOC नहीं उपलब्ध कराने के कारण मेरे द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया जिसके लिए अनेको बार पत्र के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को बार-बार अनुरोध मेरे द्वारा किया गया कि अविलम्ब forest clearance एवं Utility shifting का NOC उपलब्ध कराया जाये क्योंकि दोनों पथों में Road का चौड़ीकरण करना था। बिना forest clearance एवं Utility shifting हटाये हुए कार्य करना संभव नहीं था छायाप्रति संलग्न। परन्तु कार्यपालक अभियंता का ज्ञापांक- 1952 दिनांक- 15.09.2025 को निविदा में जमा जमानत की राशि बैंक गारंटी दोनों पथों का जब्त करने हेतु कारवाई की गयी। इसके उपरांत ही मेरे द्वारा माननीय उच्च	इनके द्वारा आपत्ति दिया गया है कि ITB Clause-17 Conditional BG का कारण लगाकर तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया है। वास्तविकता यह है कि इनके द्वारा Upload किया गया Bank Guarantee को Valid मानते हुए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मान्य किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाकार Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा बिना जाँचें आधारहीन तथ्यों पर आपत्ति दिया गया है। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है। इन्हें पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत न्यूनतम निविदाकार होने पर आवंटित दोनों कार्य LOA निर्गत होने के बाद भी एकरारनामा नहीं किया गया जिसके कारण कार्य ससमय नहीं कराया जा सका एवं विभाग द्वारा पुनर्निविदा किया गया। उपरोक्त परिस्थिति MBD के Section 3 Clause 1.2.1 (b) record of poor performance such as abandoning the works के श्रेणी के आधार पर MBD के Section 1.2.1. (b) की Condition Fullfill नहीं करते है जिसके आलोक में इन्हें असफल घोषित किया गया	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

न्यायालय पटना के कोर्ट में मुझे जाना पड़ा। forest clearance एवं Utility shifting का NOC न प्राप्त होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत Letter No.- 1425 दिनांक- 03.07.2025 Revised Letter of Acceptance एवं Letter No.- 1426 दिनांक- 03.07.2025 Revised Letter of Acceptance दोनों LOA माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतः श्रीमान् से सादर पूर्वक अनुरोध है कि दो कारणों से तकनीकी बिड में असफल किया गया है। मेरे द्वारा साक्ष्य के साथ बिन्दुवार आवश्यक कागजात समर्पित के साथ अनुरोध है कि मुझे पुनः तकनीकी बिड में सफल करने हेतु पुनः विचार की कृपा की जाये।	है। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है।	
2. Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. :- उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि NIT No.-01/RCD/Hajipur/2026-27/ द्वारा आमंत्रित निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में मेरा बीड असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया है जिस पर मुझे आपत्ति/परिवाद दर्ज करना है, क्योंकि निविदा प्रपत्र में वांछित शर्तों के अनुरूप मेरा तकनीकी बीड सभी अर्हता को पूरा करता है। तकनीकी मूल्यांकन में मेरे बीड को दो बिन्दुओं यथा B.G की Validity Period एवं HOT MIX Plant के स्वामित्व के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है जबकि उक्त बिन्दुओं के संदर्भ में विस्तृत रूप में स्पष्ट किया जाता है। 1. B.G Validity period (180 दिन) Uploaded model Bid document में Bid Security के लिये एक विहित प्रपत्र (Form) संलग्न किया गया है जिसमें Bid Security के लिए Obligation संबंधित शर्तों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तदनुसार Bid Security form के कंडिका 5 में " This Guarantee will remain in force up to and including the date 180 days or as it may be extended by Employer, notice of which extension (s) to the bank is here by waived. Any demand in respect of this guarantee should reach the Bank not later than the above date." अंकित है। अतएव Bid	निविदाकार Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd के द्वारा Uploaded Bank Guarantee की वैधता दिनांक-16.12.2026 तक ही है जो end date of Bid submission 03.07.2026 को मद्देनजर रखते हुए 180 दिनों से कम है। MBD के ITB Clause 17.3 में स्पष्ट है कि The Bank Guarantee for EMD should be valid for not less than 180 days after bid submission end date or beyond any period of extension if requested under ITB 16.2. एवं NIT के कंडिका 18 (c) में भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि The Bank Guarantee for EMD should be valid for not less than 180 days after bid submission end date. विदित हो कि निविदा की अंतिम तिथि को बढ़ाये जाने के पश्चात् पुनः सभी अभिलेखों को e-Proc-2 पर पुनः Re-Submitted किया जाना अनिवार्य है। जिसके उपरान्त ही Bidder का Submission Successful होता है। निविदाकार Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd द्वारा सभी अभिलेखों को Re-Submitted किया गया परन्तु Extended Bank Guarantee Re-	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

Security अवधि को विस्तारित करने का प्रवधान अंकित है। इस परिस्थिति में इस अवधि (180 दिन) को Technical Bid में असफल घोषित करने का आधार बनाना सर्वथा गैर तकनीकी और त्रुटिपूर्ण है। इस स्पष्टीकरण में यह वर्णन करना समाचीन है कि उक्त निविदा को प्राप्त करने के अंतिम तिथि को चार बार संशोधित किया गया है। जबकि NIT एवं संबंधित निविदा प्रपत्र Eproc-2 के Website पर Upload किये जाने के बाद भी अंतिम समय में निविदा प्राप्ति के तिथि को परिवर्तित किया जाता रहा। किसी बीड को समर्पित करने के लिये निविदाकार बैंक एवं अन्य संस्थानों/विभागों के माध्यम से B.G एवं अन्य कागजात तैयार करना पड़ता है और Last Moment में rushing activities से बचने के लिये एक दिन दो दिन पहले सभी कागजात तैयार किये जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि बार-बार B.G बनाने में Bank Processing fee एवं प्रक्रिया में समय लगता है जबकि एक बार B.G बना लेने पर अवधि का विस्तार करना Legally Valid है। 2. मेरे द्वारा दिये गये निविदा में HMP का स्वामित्व प्रमाण 80/100 TPH का Certificate लगा हुआ है जो 06.01.2013 का है, जो निविदा के Equipment section में मेरे द्वारा HMP स्वामित्व का Upload कागजात पूर्णतः दुष्टव्य है। मेरे द्वारा इसी HMP पलान्ट द्वारा पथ निर्माण विभाग के हाजीपुर, पटना पश्चिम, पटना सिटी, मुजफ्फपुर, समस्तीपुर पथ प्रमण्डल, में निम्नलिखित वर्णित कार्यों को ससमय सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। 1. Strengthening of Suresh Chowk Dabaich Derua-Sukki-Sariya Ghat-Maheshi Chowk-Sujawalpur N.H Road from 0.00 to 12.00 km for the year 2018-19 2. Bill of Quantity for Widening & Strengthening of Toll Plaza NH-22 to Daulatpur Bypass road (Total Length- 10.10 km) in Vaishali Road Division, Hajipur (Under Sat Nischay-2 Sulabh Samparkata Scheme (Including H.P. Culvert, Utility Shifting etc.) 3. Development of Bypass Road from	Submitted नहीं किया गया। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है। निविदाकार Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd द्वारा Section 4, D3, Equipment form EQU में Form में H.M.P का स्वामित्व दर्शाया है। स्वामित्व से संबंधित दो अभिलेख Upload किया गया है। एक अभिलेख यथा H.M.P Maruti Equipments Ltd द्वारा निर्गत Certificate दिनांक-14.08.99 जो Surendra Prasad के पक्ष में निर्गत है जिसमें year of Manufacture-1999 अंकित किया गया है। MBD Section-3 Clause 2.6 में अंकित है कि The Bidder shall own at least One Hot Mix Plant (40-60 Tonne/Hour Capacity) not more than 15 year age. तदनुसार Manufacture-1999 के Certificate को मान्य नहीं किया जा सकता है। एक अन्य H.M.P हेतु Dasmesh Enginnering Works द्वारा मात्र एक Undertaking (To Whom it may Concern) दिनांक-06.01.2013 के द्वारा Sri Surendra Prasad को निर्गत है। जिसके साथ tax Invoice संलग्न नहीं है और ना ही Year of Manufacture अंकित है तदनुसार इस Certificate को भी मान्य नहीं किया जा सकता है। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है।
--	--

Chhitnawa (NH-30) to Usari (7.10 km) (Danapur Shiwala RCD Road) for the year 2022-23 (Under CRIF) 4. Widening & Strengthening of Lodipur (NH-30, Danapur-Maner-Bihta Road) to Painal (Shiwala Bihta Road) Length-10.00 km) under Patna West Road Division, Patna for the year 2022-23 (Under NABARD) 5. Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the road Pagara (NH-28)-Asinchowk-Maniyarpur-Kancha-Sothgama-Lagma-Mohiudinagar Railway Station-Chandani Chowk under work division Samastipur for the year 2014-15 6. I.R.Q.P. cum-output and performance based road assets maintenance work for Turki (N.H.-77) to Saraiya (N.H.-102) in km 0 to 22 (Total Length-22.00 km) for the year 2014-15. अतः स्पष्ट करना है कि निविदा में Uploaded तकनीकी बीड में वर्णित HOT Mix Plant मेरे स्वामित्व में अधीन तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने में सफल है मेरे स्वामीत्वधीन Total & Plant के रूप में मेरा Working Assets है। इस आधार पर मेरे तकनीकी बीड का सफल करने का अनुरोध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं को देखते हुए मेरे निविदा को तकनीकी रूप से सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाय।		
3. JKM Infra Projects Ltd. द्वारा समर्पित परिवाद:- Litigation details of M/s Agrawal Infrabuild Private Limited given Below :- 1. CWJC No. 2302/2026, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Rajasthan State Road Development and Construction Corp Ltd.) (High Court, Rajsthan.) 2. WP (C) 13176/2025, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s National	यद्यपि JKM Infra Projects Ltd. इस निविदा के निविदाकार नहीं है तथापि इनके द्वारा निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited के विरुद्ध परिवाद समर्पित किया है। निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited को वांछित अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति में सफल घोषित	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

Highway Authority of India & Others.) (High Court , Delhi.) 3. WP (C) 4599/2025, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s National Highway Authority of India & Others.) (High Court, Delhi.) 4. Tax C No 167/ 2023 M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Asst Comm of Income Tax, Rajpur Chhattisgarh) (High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.) 5. SLP no 32645/2025 Dt 12.01.2026 M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Asst Comm of Income Tax, Rajpur Chhattisgarh) (Supreme Court of india, Cour no. 15.) In View of the facts stated above, it is respectfully submitted that the circumstances relied upon for declaring the Technical Bid Non-Responsive/ Disqualified primarily relate to either; Matters relating to disclosure/clarification of litigation and concluded arbitration, where there was no wilful concealment, fraudulent misrepresentation or intention to mislead the Department.	किया गया है। अन्य निविदा में निविदाकार JKM Infra Projects Ltd. द्वारा निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited के विरुद्ध परिवाद समर्पित किया गया है। परिवाद में अंकित सभी वादों (Court Case) के समीक्षोपरांत वर्णित वादों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :- <table border="1" data-bbox="858 548 1233 1070"> <thead> <tr> <th>S.I No.</th><th>Case No.</th><th>Case Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>CWJC No. 2302/2026,</td><td>Case Disposed</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>WP (C) 13176/2025,</td><td>Case Disposed</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>WP (C) 4599/2025,</td><td>Case Disposed</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Tax C No 167/ 2023</td><td>Case Disposed</td></tr> </tbody> </table> शेष एक Hon'ble Supreme Court of india में Litigation SLP no 32645/2025 Dt 12.01.2026 Pending है जो Assistant Commissioner of Income Tax Central Circle-II Tax से संबंधित है। चूँकि उक्त वाद विभागीय कार्य से संबंधित नहीं है फलस्वरूप इस आधार पर परिवाद मान्य नहीं किया जा सकता है।	S.I No.	Case No.	Case Status	1.	CWJC No. 2302/2026,	Case Disposed	2.	WP (C) 13176/2025,	Case Disposed	3.	WP (C) 4599/2025,	Case Disposed	4.	Tax C No 167/ 2023	Case Disposed	
S.I No.	Case No.	Case Status															
1.	CWJC No. 2302/2026,	Case Disposed															
2.	WP (C) 13176/2025,	Case Disposed															
3.	WP (C) 4599/2025,	Case Disposed															
4.	Tax C No 167/ 2023	Case Disposed															

7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त निविदाकार, Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक— RRC/26-27/203 दिनांक—14.08.2026 एवं Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक—शून्य दिनांक—14.08.2026 द्वारा दिये गये आपत्ति को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एवं JKM Infra Projects Ltd. के परिवाद पर समीक्षोपरांत उपभागीय ज्ञापांक—2441 दिनांक—13.08. 2026 द्वारा निर्गत कार्यवाही में घोषित सफल/असफल के निर्णय को यथावत् रखा जा सकता है।





8. परिवाद समिति का निर्णय :-

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक— RRC/26-27/203 दिनांक— 14.08.2026 एवं (2) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक—शून्य दिनांक— 14.08.2026 एवं अन्य निविदा (OPRMC Phase-III 05A) में निविदाकार (3) JKM Infra Projects Ltd. का पत्रांक—JKM/PAT/INBR/Muz/CE/2026/819 दिनांक—17.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

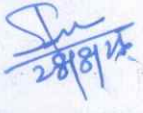
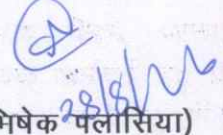
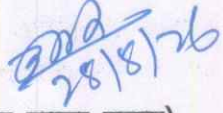
(ii) दो निविदाकार (i) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Private Limited को ITB Clause-17 एवं Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU के आलोक में एवं (ii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

(iii) शेष एक निविदाकार यथा Agrawal Infrabuild Private Limited द्वारा निविदा की वांछित अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक—2441 दिनांक—13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक—13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

 (सुनील कुमार सुमन) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (अभिषेक पलासिया) संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
---	---	--	--

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-101/2026 5990(E)

पटना, दिनांक 29/8/2026

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।